

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 1978/भाद्र 9, 1900

No. 259] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 1978/BHADRA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed
as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1978

आदेश

सा० का० नि० 439 (अ).-- केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात
कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1973 (1978 की 16) की धारा 25
और 26 द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का नाम पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा
प्रकीर्ण उपबन्ध कठिनाइयों का निराकरण आदेश संख्या-2 है।

2. विघटित कम्पनी के 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाला अवधि के लिए, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक लेखाओं, की लेखा-परीक्षा, अधिव्ययान और रबीकरण के प्रयोजनों के लिए—

(क) समाकलित कम्पनी का निदेशक बोर्ड विघटित कम्पनी बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करेगा,

(ख) समाकलित कम्पनी के शेयरधारक विघटित कम्पनी के शेयरधारकों के कृत्यों का निर्वहन करेंगे,

(ग) समाकलित कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को विघटित कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय समझा जाएगा।

3. इस आदेश के उपबन्ध, कम्पनी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

4. इस आदेश में प्रयुक्त सभी शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1978 (1979 का 16) में दिए गए हैं।

[सं० 6 (17)/78- एस ए आई एल-1]

शिवराज देव प्रसाद, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 31st August, 1978

ORDER

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by sections 25 and 26 of the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 (16 of 1978), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Removal of Difficulties Order No. 2.

2. For the purposes of audit, authentication and adoption of the annual accounts, for the period ended on 30th April, 1978 of the dissolved company as per the provisions of the Companies Act—

(a) the Board of Directors of the Integral Company shall discharge the functions of the Board of the dissolved company;

(b) the shareholders of the Integral Company shall discharge the functions of the shareholders of the dissolved company;

(c) the registered office of the Integral Company shall be deemed to be the registered office of the dissolved company.

3. The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything contained in the Companies Act or any other law for the time being in force.

4. All words and expressions used in this Order shall have meanings respectively assigned to them in the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 (16 of 1978).

[No. 6(17)/78-SAIL-I]

S. D. PRASAD, Addl. Secy.